

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH , NEW DELHI

OA No. 211 of 2024

IN THE MATTER OF –

SANJAY AGARWAL

..... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS.

..... RESPONDENT


INDEX

S.No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit on behalf of Respondent No.4, District Development Authority, Tehri Garhwal	
2.	<u>Annexure A-1</u> Copy of order dated 05.12.2024	
3.	<u>Annexure A-2</u> Copy of order dated 07.12.2024	
4.	<u>Annexure A-3</u> Copy of order dated 05.12.2024	
5.	<u>Annexure A-4</u> Copy of order dated 07.12.2024	
6.	<u>Annexure A-5</u> Copy of order dated 05.12.2024	
7.	<u>Annexure A-6</u> Copy of order dated 07.12.2024	
8.	<u>Annexure A-7</u> Copy of order dated 05.12.2024	
9.	<u>Annexure A-8</u> Copy of order dated 07.12.2024	

10.	<u>Annexure A-9</u> Copy of order dated 05.12.2024	
11.	<u>Annexure A-10</u> Copy of order dated 13.12.2024	
12.	<u>Annexure A-11</u> Copy of order dated 05.12.2024	
13.	<u>Annexure A-12</u> Copy of order dated 13.12.2024	

Filed By

Filed on. 14.12.2024



VINAY GARG
Council for Respondent No. 4
Office - C-253, 1st Floor
Defence Colony,
New Delhi-110024
011-41740212, 2433388,

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 211/2024

Sanjay AgarwalApplicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors.Respondents

SN 825

Affidavit on behalf of Respondent No. 4, District Development Authority, Tehri Garhwal

I, Digvijay Nath Tiwari S/o Sh. Lallan Tiwari aged about 50 years, resident of Asstt. Engineer, District Level Development Authority, Tehri, Old Collectorate Building, Narender Nagar, District Tehri, do hereby solemnly affirm on oath and state as under:

1. That the deponent is working as Assistant Engineer in the District Development Authority, Tehri Garhwal, Uttarakhand and is well conversant with the facts of the case, hence is competent to sign and swear this affidavit.
2. That complaint was made by the Applicant Sanjay Agarwal with regard to one building having been constructed, adjoining Holiday Apartments, after encroachment on Nala land. The debris generated in construction was also being dumped in Nala. Besides that, the construction was raised without any sanctioned map from Development Authority.




[Handwritten Signature]

3. That this Hon'ble Tribunal vide order dated 09.05.2024 constituted a joint committee comprising of Chief Engineer, Irrigation Department, Uttarakhand Pollution Board and District Magistrate who submitted a report of 6 unauthorized constructions.
4. That the present status with regard to action taken by the Respondent Tehri Development Authority under Uttarakhand (U.P. Urban Planning & Development) Act, 1973 of the 6 unauthorized constructions as mentioned in the report dated 06.08.2024 of the Joint Committee, is as follows.

- (a) The building owner **Sh. Atul Nehra and others, Tapovan, Ghughyani Malli, Deccan Valley**

After completing the formalities as per law, the building comprising of 6 floors (G+5) the entire building was sealed on 07.09.2024. Thereafter, the building owner having taken no action demolition order dated 14.10.2024 were passed asking it to demolish the building itself within 30 days or else it will forcibly be demolished. This order was challenged in appeal no.25/2024-25 which was disposed of by Commission Garhwal Division/Chairman Development Authority by order dated 16.11.24.

Against the order dated 16.11.24, the building owners filed Revision No. 0033/2024 before the Joint Chief Administrator, Uttarakhand Awas Evam Vikas Authority, Dehradun.



Handwritten signature or mark.


The Development Authority by order dated on 05.12.24 has notified the building owner that pursuant to demolition order dated 14.10.2024 the demolition of the building will take place on 14.12.2024 at 11.00 AM. Copy of order dated 05.12.24 is annexed as **Annexure A-1.**

However, the Revisionary Authority (*Joint Chief Administrator, Uttarakhand Awas Evam Vikas Authority*) vide its order dated 07.12.24 has stayed the demolition order dated 14.10.2024. The copy of order dated 07.12.24 is annexed as **Annexure A-2.**

- (b) The building owner **Sh. Deepak Kandari and others, Tapovan, Ghughyani Malli, Deccan Valley**

After completing the formalities as per law, the building comprising of 6 floors (G+5) the entire building was sealed on 07.09.2024. Thereafter, the building owner having taken no action demolition orders dated 14.10.2024 were passed asking it to demolish the building itself within 30 days or else it will forcibly be demolished. This order was challenged in appeal no.27/2024-25 which was disposed of by Commission Garhwal Division/Chairman Development Authority by order dated 16.11.24.

Against the order dated 16.11.24, the building owners filed Revision No. 0035/2024 before the Joint Chief Administrator, Uttarakhand Awas Evam Vikas Authority, Dehradun.




The Development Authority by order dated on 05.12.24 has notified the building owner that pursuant to demolition order dated 14.10.2024 the demolition of the building will take place on 14.12.2024 at 11.00 AM. Copy of order dated 05.12.24 is annexed as Annexure A-3.

However, the Revisionary Authority (*Joint Chief Administrator, Uttarakhand Awas Evam Vikas Authority*) vide its order dated 07.12.24 has stayed the demolition order dated 14.10.2024. The copy of order dated 07.12.24 is annexed as Annexure A-4.

- (c) The building owners **Sh. Bharat Singh/Sh. Lalit Mishra, Tapovan, Ghughtyani Malli, Deccan Valley**

After completing the formalities as per law, the building comprising of 6 floors (G+5) the entire building was sealed on 07.09.2024. Thereafter, the building owner having taken no action demolition orders dated 14.10.2024 were passed asking it to demolish the building itself within 30 days or else it will forcibly be demolished. This order was challenged in appeal no.26/2024-25 which was disposed of by Commission Garhwal Division/Chairman Development Authority by order dated 16.11.24.

Against the order dated 16.11.24, the building owners filed Revision No. 0032/2024 before the Joint Chief Administrator, Uttarakhand Awas Evam Vikas Authority, Dehradun.



Handwritten signature or initials.


The Development Authority by order dated on 05.12.24 has notified the building owner that pursuant to demolition order dated 14.10.2024 the demolition of the building will take place on 14.12.2024 at 11.00 AM. Copy of order dated 05.12.24 is annexed as **Annexure A-5.**

However, the Revisionary Authority (*Joint Chief Administrator, Uttarakhand Awas Evam Vikas Authority*) vide its order dated 07.12.24 has stayed the demolition order dated 14.10.2024. The copy of order dated 07.12.24 is annexed as **Annexure A-6.**

- (d) The building owner **Sh. Rajesh Agarwal/others, Tapovan, Ghughyani Malli, Deccan Valley.**

This building has 17 small units of one bedroom flat constructed in 5 floors (G+4). Despite notices since no one appeared and nothing was filed, the order for sealing of the premises was passed on 06.09.2024 and 09.09.2024 was fixed as the date for sealing. On 09.09.2024, at the time of sealing, it was found that out of 17 units, units 14 units were occupied by different people who were residing therein with their families. The occupants informed that all 17 units were sold to different people by the owner/builder Mr. Rajesh Agarwal.

There was resentment from the occupants and the people present on the spot. The 3 units belonging to one Mr. Kapil Gupta (Ground floor), Mr. Dinesh Gupta (First floor Unit no. A-1) and Smt. Hemlata (First floor



Unit no. A-4) lying vacant were sealed. Besides that, one hall under construction on the terrace (above 4th floor) belonging to Mr. Lalit Mohan Mishra was also sealed.

Thereafter, the building owner having taken no action, demolition orders dated 14.10.2024 were passed asking it to demolish the building itself within 30 days or else it will forcibly be demolished. This order was challenged in appeal no.20/2024-25 which was disposed of by Commission Garhwal Division/Chairman Development Authority by order dated 14.11.24.

Against the order dated 14.11.24, the building owners filed Revision No. 0034/2024 before the Joint Chief Administrator, Uttarakhand Awas Evam Vikas Authority, Dehradun.

The Development Authority by order dated on 05.12.24 has notified the building owner that pursuant to demolition order dated 14.10.2024 the demolition of the building will take place on 14.12.2024 at 11.00 AM. Copy of order dated 05.12.24 is annexed as Annexure A-7.

However, the Revisionary Authority (*Joint Chief Administrator, Uttarakhand Awas Evam Vikas Authority*) vide its order dated 07.12.24 has stayed the demolition order dated 14.10.2024. The copy of order dated 07.12.24 is annexed as Annexure A-8.

(e) The building owner **Late Smt. Sobha Singh/Narender Baluni, Tapovan, Ghughyani Malli, Deccan Valley**




After completing the formalities as per law, the building comprising of 5 floors (G+4) the entire building was sealed on 07.09.2024. Thereafter, the building owner having taken no action demolition orders dated 14.10.2024 were passed asking it to demolish the building itself within 30 days or else it will forcibly be demolished.

This order was challenged in appeal no.33/2024-25 which was disposed of by Commission Garhwal Division/Chairman Development Authority by order dated 11.12.24.

Against the order dated 11.12.24, the building owners filed Revision No. 0042/2024 before the Joint Chief Administrator, Uttarakhand Awas Evam Vikas Authority, Dehradun.

The Development Authority by order dated on 05.12.24 has notified the building owner that pursuant to demolition order dated 14.10.2024 the demolition of the building will take place on 14.12.2024 at 11.00 AM. Copy of order dated 05.12.24 is annexed as Annexure A-9.

However, the Revisionary Authority (*Joint Chief Administrator, Uttarakhand Awas Evam Vikas Authority*) vide its order dated 13.12.24 has stayed the demolition order dated 05.12.2024. The copy of order dated 13.12.24 is annexed as Annexure A-10.



A handwritten signature or mark in blue ink, consisting of a stylized 'A' shape with a horizontal line through it.


- (f) The building owners **Sh. Ranjan Gupta/Sh. Nitin Goyal/Sh. Vishal Tayal/Sh. Amit and others, Tapovan, Ghughyani Malli, Deccan Valley**

After completing the formalities as per law, the building comprising of 6 floors (G+5) the entire building was sealed on 07.09.2024. Thereafter, the building owner having taken no action demolition orders dated 14.10.2024 were passed asking it to demolish the building itself within 30 days or else it will forcibly be demolished. This order was challenged in appeal no.30/2024-25 which was disposed of by Commission Garhwal Division/Chairman Development Authority by order dated 04.12.24.

Against the order dated 04.12.24, the building owners filed Revision No. 0041/2024 before the Joint Chief Administrator, Uttarakhand Awas Evam Vikas Authority, Dehradun.

The Development Authority by order dated on 05.12.24 has notified the building owner that pursuant to demolition order dated 14.10.2024 the demolition of the building will take place on 14.12.2024 at 11.00 AM. Copy of order dated 05.12.24 is annexed as **Annexure A-11.**

However, the Revisionary Authority (*Joint Chief Administrator, Uttarakhand Awas Evam Vikas Authority*) vide its order dated 13.12.24 has stayed the demolition order dated 05.12.2024. The copy of order dated 13.12.24 is annexed as **Annexure A-12.**



- 5. That it is most humbly submitted that the Respondent No.4 District Development Authority, Tehri Garhwal is duty bound to take all steps within its jurisdiction, as may be directed by this Hon'ble Tribunal.
- 6. That it is most humbly submitted that appropriate orders may kindly be passed as deemed fit and proper by this Hon'ble Tribunal.
- 7. That the annexures are true copies of their originals.


DEPONENT

VERIFICATION

I, the abovenamed deponent do hereby verify that the contents of the above paragraphs 1 to 7 of this Affidavit are true and correct to the best of my knowledge on the basis of record.

Verified today on 14th day of December, 2024 at ... 11 AM

DEPONENT



Signed Sworned and verified before me by Sri. D. G. Nay Nath Tiwari on Dt. 14/12/2024 10/PM who is Identified by Sri. [Signature] 14/12/2024

Jest Singh Sawan
Notary Rishikesh
UTTARAKHAND
Reg. No. 51(01) 2007/U.K
82/6/86-UP

कार्यालय

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी

पुराना जिलाधिकारी आवास, प्रथम तल, निकट बस अड्डा, नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल।

Website- ddatehri.org

E-mail- ddatehriuk@gmail.com

पत्रांक : ९२१ / जि०स्ता०वि०प्रा० / 2024-25

दिनांक - 0९-11-2024

न्यायालय संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी नरेन्द्रनगर
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण बनाम श्री अतुल नेहरा एवं अन्य

ध्वस्तीकरण आदेश

प्राधिकरण के पत्रांक-319/जि०स्ता०वि०प्रा०/2024-25 दिनांक 14.10.2024 द्वारा आपको उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त करने हेतु आदेश पारित करते हुये आपको आदेशित किया गया था कि आप स्वयं स्थल पर किये गये अवैध निर्माण को 30 दिन के अन्दर हटा ले, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा इसे बलपूर्वक ध्वस्त कर दिया जायेगा एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय भू-राजस्व के बकाये के रूप में आपसे वसूल कर लिया जायेगा। जिसके अनुसार उक्त अनाधिकृत निर्माण को आपके द्वारा हटाने की अवधि दिनांक 13.11.2024 को समाप्त हो गयी है आतिथि तक आप द्वारा भोंके से उक्त अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1873, (संशोधित अधिनियम-2013) की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत विपक्षी श्री अतुल नेहरा एवं अन्य के अवैध निर्माण को दिनांक 14.12.2024 समय पूर्वान्ह 11:00 बजे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाय एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय भू-राजस्व के बकाये के रूप में आपसे वसूल जाय। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्धारित तिथि से पूर्व अवैध निर्माण स्थल पर आपकी जो भी सम्पत्ति है हटा ले अन्यथा की स्थिति में ध्वस्तीकरण के दौरान आपके सामान की क्षति होने पर आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

संयुक्त सचिव

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी,
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि--

1. जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला टिहरी गढ़वाल को इस अनुरोध के साथ कि स्थल पर नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देश देने का कष्ट करें।
3. उपाध्यक्ष महोदय, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर जिलाधिकारी/सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर टिहरी को इस आशय से सूचनार्थ प्रेषित।
6. पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेन्द्रनगर को इस आशय से प्रेषित कि निरस्त तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल तैनात करने का कष्ट करें।



7. प्मारी निरीक्षक, सुनिकीरेती, टिहरी गढवाल को रणत पर नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से सम्बन्धित पुलिस वल तैनात करने का कल करे।
8. सहायक अगियन्ता व अपर सहायक अगियन्ता, जि०स्त०वि०प्रा० टिहरी को इस निर्देश के साथ नि. नियत तिथि व समय पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
9. विपक्षी श्री अतुल नेहरा एवं अन्य को इस आशय के साथ प्रेषित कि अवैध निर्माण को इस आदेश की पाप्ता के उपरान्त तुरन्त खाली करदे अन्यथा की स्थिति में ध्वस्तीकरण के दौरान आपके सम्मान की क्षति होने पर आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।



संयुक्त सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी,
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल।






784
आदेश दिनांक : 07/12/2024

Tirth Pal (Joint Chief Administrator)
07 Dec 2024 14:46

आवास एवं पशुपालन, पशुविकास, आवास एवं उपर विकास प्राधिकरण, देहरादून।

ANNEXURE - A 2

नियन्त्री संख्या: 0031/2024

नियन्त्रीकर्मता-श्री अजय शेट्टी पुत्र श्री सुकन्यतल सिंह निवासी-3303, द्वितीय तल, ब्लॉक-सी0, वीन फील्ड निक्ट मुकुटदास, फरीदाबाद, हरियाणा-121001।

काम

प्रतिपत्ती-

- 1-अजय, जिला सहाय विकास प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल द्वारा पीएसडी अधिकारी/उपजिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 2-पीएसडी अधिकारी/उपजिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल/संयुक्त सचिव, जिला सहाय विकास प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल।

सम्मत नियन्त्री, श्री अजय शेट्टी पुत्र श्री सुकन्यतल सिंह निवासी-3303 द्वितीय तल, ब्लॉक-सी0, वीन फील्ड निक्ट मुकुटदास, फरीदाबाद, हरियाणा-121001 द्वारा पीएसडी अधिकारी/उपजिलाधिकारी, टिहरी/संयुक्त सचिव, जिला सहाय विकास प्राधिकरण, टिहरी के आदेश संख्या-319/जिआरओ/2024-25 दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 के विरुद्ध मजिस्ट्रेट अपील संख्या-25/2024-25 में अजय, जिला सहाय विकास प्राधिकरण टिहरी/आयुक्त गढ़वाल मण्डल के आदेश दिनांक 16 नवंबर, 2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी प्रस्ताव नियन्त्री की सुनवाई हेतु दिनांक 17 दिसम्बर 2024 को भिजि विगत है।

आज दिनांक 07 दिसम्बर, 2024 को ऑनलाइन नियन्त्रीकर्मता के अधिकांक द्वारा जिला सहाय विकास प्राधिकरण, टिहरी के धनवीकरण आदेश दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 पर तत्काल सुनवाई हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर नियन्त्रीकर्मता के अधिकांक को कुछ प्रश्न। नियन्त्रीकर्मता के अधिकांक का कथन है कि प्राधिकरण स्तर से धनवीकरण के आदेश दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 को अगल में लाने पर नियन्त्रीकर्मता को अनुप्रीत हति होगी एवं नियन्त्री का अधिकांक ही सत्यापन में प्रथम।

व्यापक सुविधाओं से आगामी सुनवाई दिनांक तक जिला सहाय विकास प्राधिकरण, टिहरी के धनवीकरण आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को अगल में लाने का निर्णय लिया गया है। नून नियन्त्री पर प्राधिकरण के अधिकांक एवं प्रस्ताव आगामी सुनवाई दिनांक से पूर्व लाने वाले हुए प्राधिकरण स्तर से प्रस्ताव प्राप्त कर लिया जाए। प्रस्ताव की प्रतिलिपि एवं प्राधिकरण की मूल प्रतिलिपि दिनांक 17 दिसम्बर 2024 को प्रस्तुत की।

Tirth Pal (Joint Chief Administrator)
07 Dec 2024 15:44




Note Sheet 11

सत्य प्रतिलिपि


प्रतिलिपिकार.....
तुलनाकार.....
आदेश दिनांक 07/12/2024
प्रार्थना पत्र देने की तिथि 07/12/2024
नकल जारी करने की तिथि 07/12/2024

पेशकार
उत्तराखण्ड आवास एवं
पशु विकास प्राधिकरण, देहरादून

Subhash Chandra Joshi (Clerk)
07 Dec 2024 15:44



CF=03
RS=15



Handwritten mark resembling a star or 'B'.

कार्यालय

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी

पुराना जिलाधिकारी आवास, प्रथम तल, निकट बस अड्डा, नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल।

Website- dldatehri.org

E-mail- ddatehriuk@gmail.com

पत्रांक - 524 / जिनर/वि0ग0/2024-25

दिनांक - 05-12-2024

न्यायालय संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी नरेन्द्रनगर
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण बनाम श्री दीपक कण्डारी एवं अन्य

ध्वस्तीकरण आदेश

प्राधिकरण के पत्रांक-318/जिनर/वि0ग0/2024-25 दिनांक 14.10.2024 द्वारा आपकी उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त करने हेतु आदेश पारित करने हेतु आपकी आर्थागत किया गया था कि आर सत्य स्थल पर किये गये अवैध निर्माण का 30 दिन के अन्दर हटा ले, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा इसे बलपूर्वक ध्वस्त कर दिया जायेगा एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय नू-राजस्व के वकाये के रूप में आपसे वसूल कर लिया जायेगा। जिसके अनुसार उक्त अनाधिकृत निर्माण को आपके द्वारा हटाने की अवधि दिनांक 13.11.2024 को समाप्त हो गया है आतिथि तक आप द्वारा नौके से उक्त अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया है

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973. (संशोधित अधिनियम-2013) की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत विपत्ती श्री दीपक कण्डारी एवं अन्य के अवैध निर्माण को दिनांक 14.12.2024 सनय पूर्वान्ह 11:00 बजे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाय एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय नू-राजस्व के वकाये के रूप में आपसे वसूला जाय। विपत्ती को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्धारित तिथि से पूर्व अवैध निर्माण स्थल पर आपकी जा भी सम्पत्ति है हटा ल अन्यथा की स्थिति में ध्वस्तीकरण के दौरान आपकी सानान की क्षति होने पर आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

संयुक्त सचिव

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी,
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।
2. परिष्क पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला टिहरी गढ़वाल को इस अनुरोध के साथ कि स्थल पर नियत तिथि न सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित धानाव्यय को निर्देश देने का कष्ट करे।
3. उपनिरीक्षक महोदय, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।
4. अपर जिलाधिकारी/सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।
5. उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर टि0ग0 को इस आशय से सूचनाार्थ प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक नरेन्द्रनगर को इस आशय से प्रेषित कि नियत तिथि न सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल तनात करण का कष्ट करे।



7. प्रभाषी निरीक्षक, मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल को स्थल पर नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल तैनात करने का काट करें।
8. सहायक अभियन्ता व अपर सहायक अभियन्ता, जि०र०त०वि०प्रा० टिहरी को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर धरतीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
9. निपटारी श्री दीपक कण्डारी एवं अन्य को इस आशय के साथ प्रेषित कि अवेज निर्माण को इस आदेश की प्राप्ति के उपरान्त तुरन्त खाली कर दे अन्यथा की स्थिति में धरतीकरण के दायन आपके सामान की क्षति होने पर आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।



संयुक्त सिद्धि
जिला स्तरीय विकास प्रधिकरण टिहरी,
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

त
य
त
र
क
या
-
के
स
या
था

शे.

यत
देने

धत






नकल आदेश दिनांक 07/12/2024

787

Tirth Pal (Joint Chief Administrator)
07 Dec 2024 14:48

उत्तराखण्ड राज्य सरकार, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून

नियंत्रण संख्या: 6035/2024

ANNEXURE - A4

नियंत्रणकर्ता-श्री दिनेश सिंह चर्क दीरघ कटवाले पुत्र श्री रमण सिंह निवासी-गुफाकाल वार्ड नम्बर-03, देहरादून-249204।

पत्तन

प्राप्तकर्ता-

- 1-अध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल द्वारा पीठासीन अधिकारी/उपजिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 2-पीठासीन अधिकारी/उपजिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल/समुदाय सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल।

प्रस्ताव नियंत्रण श्री दिनेश सिंह चर्क दीरघ कटवाले पुत्र श्री रमण सिंह निवासी- गुफाकाल वार्ड नम्बर-03, देहरादून-249204 द्वारा पीठासीन अधिकारी/उपजिलाधिकारी, टिहरी/समुदाय सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी के आदेश संख्या-319/डिआर/2024/2024-25 दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 के विरुद्ध कोटित अवकाश संख्या-27/2024-25 व अग्रत जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी/समुदाय सचिव गढ़वाल के आदेश दिनांक 16 नवम्बर, 2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रस्ताव नियंत्रण की मूलाई संज्ञा दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 की तिथि निम्न है।

अद्य दिनांक 07 दिसम्बर, 2024 पर आदेशद्वारा नियंत्रणकर्ता के अधिकार द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी के अध्यक्ष/उप अध्यक्ष आदेश दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 पर प्रस्ताव नुमाई को अनुमति एवं प्रस्ताव प्रेषित किया गया जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के अधिकार को मना किया गया। नियंत्रणकर्ता के अधिकार का उल्लंघन है कि प्राधिकरण स्तर से प्रस्तावकर्ता के आदेश दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 को प्रस्ताव मना पर नियंत्रणकर्ता को अपील की गयी है।

समाप्ति सूचना से आगामी नुमाई तिथि तक जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी के अध्यक्ष/उप अध्यक्ष आदेश दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 के प्रस्ताव को स्थगित किया जाता है। पुन नियंत्रण पर प्राधिकरण के अधिकार एवं प्रस्तावकर्ता आगामी नुमाई तिथि से पुन सत्य करने हुए प्राधिकरण स्तर से प्रस्ताव प्राप्त कर दिया जाए। प्रस्तावकर्ता द्वारा प्रस्ताव एवं प्राधिकरण की मूल प्रस्ताव दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को प्रेषित की।

Tirth Pal (Joint Chief Administrator)
07 Dec 2024 15:52

Date Sheet 11

सत्य प्रतिलिपि


[Handwritten Signature]

Subhash Chandra Joshi (Clerk)
07 Dec 2024 15:52

प्रतिलिपि सं.
 चुलनाकार.....
 आदेश दिनांक..... 07.12.2024
 प्रार्थना पत्र देने की तिथि 07.12.2024
 नकल जारी करने की तिथि 07.12.2024


पेशकार
उत्तराखण्ड आवास एवं
नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून

07/12/2024



CF = 3
 AS = 15

[Handwritten Mark]



जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी

पुराना जिलाधिकारी आवास, प्रथम तल, निकट बस अड्डा, नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल।

Website- ddatehri.org

E-mail- ddatehriuk@gmail.com

पत्रांक : 530 /जि0स्त0वि0प्रा0/2024-25

दिनांक - 05-12-2024

न्यायालय संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी नरेन्द्रनगर
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण वनाम श्री भरत सिंह/श्री ललित मोहन मिश्रा एवं अन्य

ध्वस्तीकरण आदेश

प्राधिकरण के पत्रांक--320/जि0स्त0वि0प्रा0/2024-25 दिनांक 14.10.2024 द्वारा आपको उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त करने हेतु आदेश पारित करते हुये आपको आदेशित किया गया था कि आप स्वयं स्थल पर किये गये अवैध निर्माण को 30 दिन के अन्दर हटा ले, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा इसे कलपूर्वक ध्वस्त कर दिया जायेगा एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय भू-राजस्व के बकाये के रूप में आपसे वसूल कर लिया जायेगा। जिसके अनुसार उक्त अनाधिकृत निर्माण को आपके द्वारा हटाने की अवधि दिनांक 13.11.2024 को समाप्त हो गयी है आतिथि तक आप द्वारा मौके से उक्त अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया है


अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973, (संशोधित अधिनियम-2013) की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत विपक्षी श्री भरत सिंह/श्री ललित मोहन मिश्रा एवं अन्य के अवैध निर्माण को दिनांक 14.12.2024 समय पूर्वाह्न 11:00 बजे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाय एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय भू-राजस्व के बकाये के रूप में आपसे वसूला जाय। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्धारित तिथि से पूर्व अवैध निर्माण स्थल पर आपकी जो भी सम्पत्ति है हटा ले अन्यथा की स्थिति में ध्वस्तीकरण के दौरान आपके सामान की क्षति होने पर आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

संयुक्त सचिव

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी,
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि:-



1. जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला टिहरी गढ़वाल को इस अनुरोध के साथ कि स्थल पर नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु समुचित थानाध्यक्ष को निर्देश देने का कष्ट करें।
3. उपाध्यक्ष महोदय, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर जिलाधिकारी/सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर टिहरी को इस आशय से सूचनार्थ प्रेषित।
6. पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेन्द्रनगर को इस आशय से प्रेषित कि नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल तैनात करने का कष्ट करें।



7. प्रभासी निरीक्षक, मुनिकीरेती, टिहरी गढवाल को स्थल पर नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल तैनात करने का कष्ट करें।
8. सहायक अभियन्ता व अपर सहायक अभियन्ता, जि०रत०वि०प्रा० टिहरी को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
9. विपक्षी श्री भरत सिंह/श्री ललित मोहन मिश्रा एवं अन्य को इस आशय के साथ प्रेषित कि अवैध निर्माण को इस आदेश की प्राप्ति के उपरान्त तुरन्त खाली कर दे अन्यथा की स्थिति में ध्वस्तीकरण के दौरान आपके सामान की क्षति होने पर आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।



संयुक्त सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी,
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल।



नकल आदेश नं. 790 दिनांक: 07/12/2024

Tirth Pal (Joint Chief Administrator)
07 Dec 2024 14:45

खायासय, अनुसूचा नुस्खा प्रकाशन, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।

निगमकी संख्या: 0032/2024

ANNEXURE - A 6

नियंत्रण-01/श्री ललित मोहन मिश्रा पुनः स्व. श्री कपल वासुदेव मिश्रा, निवासी-देहरादून रोड, चर्कीमंडा जिला-देहरादून पिन-249201।

नाम

प्रतिपत्नी-

1-उपसर, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल द्वारा भीमसीन अधिकारी/उपजिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

2-भीमसीन अधिकारी/उपजिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल/सदुका सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल।

प्रस्ताव नियंत्रण-01/श्री ललित मोहन मिश्रा पुनः स्व. श्री कपल वासुदेव मिश्रा, निवासी-देहरादून रोड चर्कीमंडा जिला-देहरादून पिन-249201 द्वारा भीमसीन अधिकारी/उपजिलाधिकारी, टिहरी/सदुका सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी के आदेश संख्या-320/जि0सचवि0210/2024-25 दिनांक 14 अक्टूबर 2024 के विरुद्ध वाजिब अर्जित संख्या-26/2024-25 से उत्तराखण्ड जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी/सदुका गढ़वाल संयुक्त के आदेश दिनांक 10 नवंबर 2024 के विरुद्ध प्रस्ताव की गई है। प्रस्ताव नियंत्रण की मुसौदा हेतु दिनांक 17 दिसंबर 2024 को विधि निगत है।

आज दिनांक 07 दिसंबर 2024 को आनन्यायन नियंत्रणकर्ता के अधिवक्ता द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी के धनवीकरण आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2024 पर संकटन मुसौदा हेतु अनुसूचा पर प्रस्ताव किया गया जिला पर नियंत्रणकर्ता के अधिवक्ता 21 मुना गया। नियंत्रणकर्ता के अधिवक्ता का कथन है कि प्राधिकरण स्तर से धनवीकरण के आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2024 का अर्थ है कि धनवीकरण की अनुसूची की प्रतिलिपि का अधिवक्ता को भेजना ही सम्पन्न हो जायगा।




वाचस्पित दृष्टिकोण से आगामी मुसौदा विधि तक जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी के धनवीकरण आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को प्रस्ताव का स्थगित किया जाता है। मुन नियंत्रण पर प्राधिकरण के अधिवक्ता एवं प्रस्तावकी आगामी मुसौदा विधि से पूर्व तय करके हुए प्राधिकरण स्तर से प्राप्त कर लिया जाए। प्रस्तावकी संख्या प्रस्ताव एवं प्राधिकरण की मुन प्रस्तावकी दिनांक 17 दिसंबर 2024 का प्रस्ताव है।

Tirth Pal (Joint Chief Administrator)
07 Dec 2024 15:41


Notesheet 11

प्रतिलिपिकार.....
तुलनाकार.....
आदेश दिनांक 07.12.2024
प्रार्थना पत्र देने की तिथि 07.12.2024
नकल जारी करने की तिथि 07.12.2024

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
उत्तराखण्ड आवास एवं
नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून
Subhash Chandra Joshi (Clerk)
07 Dec 2024 15:41



CF=3
PS=15



जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी

पुराना जिलाधिकारी आवास, प्रथम तल, निकट बस अड्डा, नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल।

Website- ddatehri.org

E-mail- ddatehriuk@gmail.com

पत्रांक : 531 / जि0स्त0वि0प्रा0 / 2024-25

दिनांक - 05-12-2024

न्यायालय संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी नरेन्द्रनगर
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण वनाम श्री राजेश अग्रवाल / श्री कपिल गुप्ता एवं अन्य

ध्वस्तीकरण आदेश

प्राधिकरण के पत्रांक-322/जि0स्त0वि0प्रा0/2024-25 दिनांक 14.10.2024 द्वारा आपको उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त करने हेतु आदेश पारित करते हुये आपको आदेशित किया गया था कि आप स्वयं स्थल पर किये गये अवैध निर्माण को 30 दिन के अन्दर हटा लें, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा इसे बलपूर्वक ध्वस्त कर दिया जायेगा एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय भू-राजस्व के बकाये के रूप में आपसे वसूल कर लिया जायेगा। जिसके अनुसार उक्त अनाधिकृत निर्माण को आपके द्वारा हटाने की अवधि दिनांक 13.11.2024 को समाप्त हो गयी है आतिथि तक आप द्वारा मौके से उक्त अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया है।


अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973, (संशोधित अधिनियम-2013) की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत विपक्षी, श्री राजेश अग्रवाल / श्री कपिल गुप्ता एवं अन्य के अवैध निर्माण को दिनांक 14.12.2024 समय पूर्वान्ह 11:00 बजे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाय एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय भू-राजस्व के बकाये के रूप में आपसे वसूला जाय। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्धारित तिथि से पूर्व अवैध निर्माण स्थल पर आपकी जो भी सम्पत्ति है हटा लें अन्यथा की स्थिति में ध्वस्तीकरण के दौरान आपके सामान की क्षति होने पर आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

संयुक्त सचिव

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी,
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला टिहरी गढ़वाल को इस अनुरोध के साथ कि स्थल पर नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देश देने का कष्ट करें।
3. उपाध्यक्ष महोदय, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर जिलाधिकारी / सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर टि0ग0 को इस आशय से सूचनार्थ प्रेषित।
6. पुलिस थानाधिकारी नरेन्द्रनगर को इस आशय से प्रेषित कि नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल तैनात करने का कष्ट करें।





7. प्रभारी निरीक्षक, सुनिश्चिती, टिहरी गढ़वाल को स्थल पर नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से सम्बन्धित पुलिस वल तैनात करने का काष्ट करें।
8. सहायक अभियन्ता व अपर सहायक अभियन्ता, जि०स्त०वि०प्रा० टिहरी का इन निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर ध्वस्तोकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
9. विपक्षी श्री राजेश अग्रवाल/श्री कपिल गुप्ता एवं अन्य को इन आशय के साथ प्रेषित कि अदम्य निर्माण को इस आदेश की प्राप्ति के उपरान्त तुरन्त खाली कर दे अन्यथा की स्थिति न ध्वस्तोकरण के दौरान आपके सामान की क्षति होने पर आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।



संयुक्त सचिव

जिला त्तीय विकास प्राधिकरण टिहरी,
नरेंद्रनगर, टिहरी गढ़वाल।



793

नकल आदेश दिनांक: 07/12/2024

8

Tirth Pal (Joint Chief Administrator)
07 Dec 2024 14:47

उत्तराखण्ड अधिकांश नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून

विषय संख्या: 0034/2024

ANNEXURE A-8

विषयवस्तु-

- 1-श्री अमित गुप्ता पुत्र श्री सोपितलानन्द गुप्ता निवासी-508, आवास विकास कॉलोनी, ऋषिकेश, जिला-देहरादून पिन-249201।
- 2-श्रीमती रीती गुप्ता पत्नी श्री अमित गुप्ता निवासी-508, आवास विकास कॉलोनी, ऋषिकेश, जिला-देहरादून पिन-249201।

बनाम

प्राप्तकर्ता-

- 1-उपमह, जिला, सारंग विकास प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल द्वारा पीठासीन अधिकारी/उपविलयिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 2-पीठासीन अधिकारी/उपविलयिकारी, टिहरी गढ़वाल/सदुका सचिव, जिला सारंग विकास प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल।

प्रस्ताव निवासी श्री अमित गुप्ता पुत्र श्री सोपितलानन्द गुप्ता एवं श्रीमती रीती गुप्ता पत्नी श्री अमित गुप्ता निवासी-508 आवास विकास कॉलोनी, ऋषिकेश, जिला-देहरादून पिन-249201 द्वारा पीठासीन अधिकारी/उपविलयिकारी, टिहरी/सदुका सारंग विकास प्राधिकरण, टिहरी के आदेश संख्या-322/विभा.सं.वि.सं.सं./2024-25 दिनांक 14 अक्टूबर 2024 के विरुद्ध कांतिन अर्थात् संख्या-29/2024-25 में आवास जिला सारंग विकास प्राधिकरण टिहरी/उत्तराखण्ड भूदान कानून के अन्तर्गत दिनांक 14 अक्टूबर 2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रस्ताव निवासी को नुकसानी हेतु दिनांक 17 दिसम्बर 2024 को निति किया है।

अतः दिनांक 07 दिसम्बर 2024 को उत्तराखण्ड विकास कानून के अन्तर्गत द्वारा जिला सारंग विकास प्राधिकरण टिहरी के परामर्शगत आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2024 पर नुकसान नुकसानी हेतु अनुमति एवं प्रस्ताव दिया गया। जिस पर निवासी/आवास के अधिकारी का उत्तर प्राप्त है। निवासी/आवास के अधिकारी का उत्तर है कि प्रतिकारक तब से उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को प्रस्ताव निवासी पर नुकसान नुकसानी का अनुषंगीय हस्त लेगी एवं निवासी को अधिकारी को सम्पत्ति ही जायेगा।

आवास नुकसान से आवास नुकसानी हेतु जिला सारंग विकास प्राधिकरण, टिहरी के परामर्शगत आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को नुकसान नुकसानी हेतु प्रतिकारक को उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को प्रस्ताव निवासी पर प्रतिकारक के अन्तर्गत एवं पीठासीन अधिकारी नुकसानी हेतु प्रतिकारक तब से उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को प्रस्ताव निवासी पर नुकसान नुकसानी का अनुषंगीय हस्त लेगी एवं निवासी को अधिकारी को सम्पत्ति ही जायेगा।

Tirth Pal (Joint Chief Administrator)
07 Dec 2024 15:49

Note Sheet 11

सत्य प्रतिलिपि

Handwritten signature and date 07/12/2024

Subhash Chandra Joshi (Clerk)
07 Dec 2024 15:49

प्रतिलिपिकार.....
 नुलनाकार.....
 आदेश दिनांक..... 07/12/2024
 प्रार्थना पत्र देने की तिथि 07/12/2024
 नकल जारी करने की तिथि 07/12/2024


CF=03
RS=15

Handwritten mark

रु 5
CANCELLED

रु 5
CANCELLED

रु 5
CANCELLED



कार्यालय

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी

पुराना जिलाधिकारी आवास, प्रथम तल, निकट बरा अड़ड़ा, नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल।

Website- ddatehri.org

E-mail- ddatehriuk@gmail.com

पत्रांक : S 26 / जि0रता0वि0प्रा0 / 2024-25

दिनांक - 05-12-2024

न्यायालय संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी नरेन्द्रनगर
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण वनाग श्री शोभा सिंह / नरेन्द्र बल्लूनी एवं अन्यध्वस्तीकरण आदेश

प्राधिकरण के पत्रांक-317/जि0रता0वि0प्रा0/2024-25 दिनांक 14.10.2024 द्वारा आपको उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त करने हेतु आदेश पारित करते हुये आपको आदेशित किया गया था कि आप स्वयं स्थल पर किये गये अवैध निर्माण को 30 दिन के अन्दर हटा ले, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा इसे बलपूर्वक ध्वस्त कर दिया जायेगा एवं इस पर होने वाला सगस्त व्यय भू-राजस्व के बकाये के रूप में आपसे वसूल कर लिया जायेगा। जिसके अनुसार उक्त अनाधिकृत निर्माण को आपके द्वारा हटाने की अवधि दिनांक 13.11.2024 को समाप्त हो गयी है आतिथि तक आप द्वारा मौके से उक्त अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया है।


अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973, (संशोधित अधिनियम-2013) की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत विपक्षी श्री शोभा सिंह / नरेन्द्र बल्लूनी एवं अन्य के अवैध निर्माण को दिनांक 14.12.2024 समय पूर्वाह्न 11:00 बजे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाय एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय भू-राजस्व के बकाये के रूप में आपसे वसूला जाय। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्धारित तिथि से पूर्व अवैध निर्माण स्थल पर आपकी जो भी सम्पत्ति है हटा ले अन्यथा की स्थिति में ध्वस्तीकरण के दौरान आपके सामान की क्षति होने पर आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

संयुक्त सचिव

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी,
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि:-


1. जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला टिहरी गढ़वाल को इस अनुरोध के साथ कि स्थल पर नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देश देने का कष्ट करें।
3. उपाध्यक्ष महोदय, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर जिलाधिकारी / सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर टिहरी को इस आशय से सूचनार्थ प्रेषित।
6. पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेन्द्रनगर को इस आशय से प्रेषित कि नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल तैनात करने का कष्ट करें।




7. प्रभारी निरीक्षक, मुनिवकीरेती, टिहरी गढ़वाल को स्थल पर नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल तैनात करने का कष्ट करें।
8. सहायक अभियन्ता व अपर सहायक अभियन्ता, जि०स्त०वि०प्रा० टिहरी को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
9. विपक्षी श्री शोभा सिंह/श्री नरेन्द्र बलूनी एवं अन्य को इस आशय के साथ प्रेषित कि अवैध निर्माण को इस आदेश की प्राप्ति के उपरान्त तुरन्त खाली कर दे अन्यथा की स्थिति में ध्वस्तीकरण के दौरान आपके सामान की क्षति होने पर आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।



संयुक्त सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी,
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

AKINEXORE - A10



न्यायालय संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

Email- uhudacourt@gmail.com, दूरभाष / फ़ैक्स 0135-2719500

निगरानी संख्या- 0042/2024
दिनांक : 13-12-2024

- 1- श्री ललित कक्कर निवासी-216, 1, कौरभद्र, क्रापिकेश, जिला-देहरादून पिन-249201।
- 2- श्री धर्मैट सिंह रावत पुत्र स्व0 श्री सरूप सिंह रावत निवासी- लक्ष्मण झुल राड, 14 बीघा, कापूर, उत्तराखण्ड 249201।

प्रागेपत्री-

बनाम

- 1- अध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल द्वारा पीठासीन अधिकारी / उपजिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 2- पीठासीन अधिकारी / उपजिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल / संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल।

आदेश

प्रश्नगत निगरानी श्री ललित कक्कर निवासी-216, 1, कौरभद्र, क्रापिकेश, जिला-देहरादून पिन-249201 एवं श्री धर्मैट सिंह रावत पुत्र स्व0 श्री सरूप सिंह रावत निवासी- लक्ष्मण झुल राड, 14 बीघा, क्रापिकेश, उत्तराखण्ड 249201 द्वारा पीठासीन अधिकारी / उपजिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल / संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी के आदेश संख्या-317 जि0स्कोवि0प्रा0 2024-25 दिनांक 14 अक्टूबर 2024 के विरुद्ध सांजित अपील संख्या-33 / 2024-25 में अख्यत जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, आयुक्त गढ़वाल मॉडल के आदेश दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

आज पेश। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रश्नगत निगरानी में निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत Urgency Application पर निगरानी के अधिवक्ता को सुना गया। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी के परतीकरण आदेश दिनांक 05.12.2024 को अगल में लाने पर निगरानीकर्ता को अपूर्णाय क्षति होगी एवं निगरानी का अवितरण हो समाप्त हो जायेगा।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर न्यायहित के दृष्टिकोण में जागामी सुनवाई तिथि तक जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी के परतीकरण आदेश दिनांक 05.12.2024 के प्रमाण को स्वीकार किया जाता है। मूल निगरानी पर प्राधिकरण के अभिलेख एवं मूल वाद पत्रावली आसामो सुनवाई तिथि से पूर्व पेश हो। प्राधिकरण निगरानी पर प्रत्युत्तर सुनवाई तिथि पर प्रस्तुत करें। निगरानीकर्ता के आदेशित किया जाता है कि निगरानी की प्राप्ति सहित तामिली सुनिश्चित करें। पत्रावली वास्तु सुनवाई प्राधिकरण के प्रत्युत्तर / मूल पत्रावली सहित दिनांक 27.12.2024 को अपराहन 03:00 बजे पेश हो।

प्राधिकरण

सुनवाईकर्ता

आदेश दिनांक 13.12.2024

प्रथम पत्र देने की तिथि 13.12.2024

सदर जारी करने की तिथि 13.12.2024

CANCELLED




(तीर्थ पाल सिंह)
संयुक्त मुख्य प्रशासक

Digitally signed by TIRTH PAL
Date: 2024.12.13 20:45:20 +05:30
Reason: Unauthorized Construction Order
Location: Dehradun

सत्य प्रतिलिपि

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण



न्यायालय संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी नरेन्द्रनगर
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण वनाम श्री रंजन गुप्ता, श्री नितिन गोयल, श्री बंशी मित्तल,
श्री अमित गोयल एवं अन्य

ध्वस्तीकरण आदेश

प्राधिकरण के पत्रांक-321 / जि0स्त0वि0प्रा10 / 2024-25 दिनांक 14.10.2024 द्वारा आपको उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त करने हेतु आदेश पारित करते हुये आपको आदेशित किया गया था कि आप स्वयं स्थल पर किये गये अवैध निर्माण को 30 दिन के अन्दर हटा ले, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा इसे बलपूर्वक ध्वस्त कर दिया जायेगा एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय भू-राजस्व के बकाये के रूप में आपसे वसूल कर लिया जायेगा। जिसके अनुसार उक्त अनाधिकृत निर्माण को आपके द्वारा हटाने की अवधि दिनांक 13.11.2024 को समाप्त हो गयी है आतिथि तक आप द्वारा नौके से उक्त अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973, (संशोधित अधिनियम-2013) की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत विपक्षी श्री रंजन गुप्ता, श्री नितिन गोयल, श्री बंशी मित्तल, श्री अमित गोयल एवं अन्यके अवैध निर्माण को दिनांक 14.12.2024 समय पूर्वान्ह 11:00 बजे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाय एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय भू-राजस्व के बकाये के रूप में आपसे वसूला जाय। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्धारित तिथि से पूर्व अवैध निर्माण स्थल पर आपकी जो भी सम्पत्ति है हटा ले अन्यथा की स्थिति में ध्वस्तीकरण के दौरान आपके सामान की क्षति होने पर आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।



संयुक्त सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी,
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला टिहरी गढ़वाल को इस अनुरोध के साथ कि स्थल पर नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देश देने का कष्ट करें।
3. उपाध्यक्ष महोदय, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर जिलाधिकारी / सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर टिहरी को इस आशय से सूचनार्थ प्रेषित।
6. पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेन्द्रनगर को इस आशय से प्रेषित कि नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल तैनात करने का कष्ट करें।





7. प्रभारी निरीक्षक, मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल को स्थल पर नियत तिथि में सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस बल तैनात करने का कष्ट करें।
8. सहायक अभियन्ता व अपर सहायक अभियन्ता, जि०स्त०वि०प्रा० टिहरी को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
9. विपक्षी श्री रंजन गुप्ता, श्री नितिन गोयल, श्री वशी गित्तल, श्री अमित गोयल एवं अन्य को इस आशय के साथ प्रेषित कि अद्वैत निर्माण को इस आदेश की प्राप्ति के उपरान्त तुरन्त खाली कर दे अन्यथा की स्थिति में ध्वस्तीकरण के दौरान आपके सामान की क्षति होने पर आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।



संयुक्त सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी,
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।




प्रतिनिधिकार ✓
सुलनाकार ✓
आदेश दिनांक 13.12.2024
आदेश पत्र देने की तिथि 13.12.2024
आदेश जारी करने की तिथि 13.12.2024



न्यायालय संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

Email- uhudacourt@gmail.com, दूरभाष / फ़ैक्स 0135-2719500

निगरानी संख्या- 0041/2024
- (दिनांक) : 13-12-2024

निगरानीकर्ता- श्री निखिल गोयल पुत्र श्री अजय कुमार गोयल निवासी-18, आदर्श नगर, प्रधिकरण
जिला-देहरादून पिन-249201।

कनाम

पतिपक्षी-

- 1- अध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल द्वारा पीठासन अधिकारी, उपनिर्देशक टिहरी गढ़वाल।
- 2- पीठासीन अधिकारी / उपजिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल / संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल।

आदेश

प्रश्नगत निगरानी, श्री निखिल गोयल पुत्र श्री अजय कुमार गोयल निवासी-18 आदर्श नगर, प्रधिकरण, जिला-देहरादून पिन-249201 द्वारा पीठासीन अधिकारी / उपजिलाधिकारी, टिहरी, संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी के आदेश संख्या-321/जि0स्त0वि0प्रा0/2024-25 दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 के विरुद्ध याचित अपील संख्या-30/2024-25 में अध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण / आयुक्त गढ़वाल मण्डल के आदेश दिनांक: 04 दिसम्बर 2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

आज पेश। निगरानीकर्ता के अभियक्ता उपस्थित हुए। प्रश्नगत निगरानी में निगरानीकर्ता के अभियक्ता द्वारा प्रस्तुत Urgency Application पर निगरानी के अभियक्ता को रुका गया। निगरानीकर्ता के अभियक्ता द्वारा कथन किया गया कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी के वसूलीकरण आदेश दिनांक 05.12.2024 को अमल में लाने पर निगरानीकर्ता का अपूर्णतय होने लगा एवं निगरानी का जीवन खतरे में समाप्त हो जायगा।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर न्यायहित के दृष्टिकोण में आगामी सुनवाई तिथि तक जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी के वसूलीकरण आदेश दिनांक 05.12.2024 के प्रभाव को रोकित किया जाता है। मूल निगरानी पर प्राधिकरण के अभिलेख एवं मूल वाद पत्रावली आगामी सुनवाई तिथि स पूर्व पेश हो। प्राधिकरण निगरानी पर प्रत्युत्तर सुनवाई तिथि पर प्रस्तुत करे। निगरानीकर्ता का आशयित किया जाता है कि निगरानी को प्रति सहीत तागिती सुनिश्चित करे। पत्रावली वाल सुनवाई प्राधिकरण के प्रत्युत्तर/मूल पत्रावली सहित दिनांक 27.12.2024 को अपराह्न 03:00 बजे पेश हो।

सत्य प्रतिनिधि
Digitally signed by TIRTH PAL
Date: 2024.12.13 20:44:55 +05:30
Reason: Unauthorized Construction Order
Location: Dehradun

रुद्ध CANCELLED रुद्ध CANCELLED

(तीर्थ पाल सिंह)
संयुक्त मुख्य प्रशासक



Handwritten signature